उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.08.2023

थाना अजगैन ,जनपद उन्नाव।

▪ दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.08.2023 को काल्पनिक नाम मीना के साथ अभियुक्त रोहित पुत्र लल्लन नि0 जैफर खेड़ा थाना दही जनपद उन्नाव द्वारा घर में घुस कर छेड़छाड़ व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 201/23 धारा 354/452/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना उपरोक्त अभियोग में धारा 354 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 376/506 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 24.08.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त रोहित उपरोक्त को माँस फैक्ट्री वशीरतगंज मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रोहित पुत्र लल्लन नि0 जाफर खेडा थाना दही जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार थाना अजगैन
2.कां0 नितीश यादव

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.08.2023
थाना मांखी ,जनपद उन्नाव।

26 पौवा अवैध देशी शराब के साथ दो अभियुक्त व 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा 08 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई

1.आबकारी निरीक्षक कुलदीप बहादुर सिंह क्षेत्र सदर उन्नाव ,आबकारी निरीक्षक कुमार गौरव सिंह क्षेत्र हसनगंज उन्नाव मय हमराह आबकारी सिपाही मोहम्मद इस्माइल आवकारी सिपाही रोहित नंदन त्रिपाठी व आरक्षी संदीप सचान व आरक्षी हरित ढिल्लो के अभियुक्तगण 1. शेरा सिंह पुत्र स्व0 जगरूप सिंह थाना माखी जिला उन्नाव उम्र 50 वर्ष 2. सुरेश पुत्र राजाराम नि0 जवाहर खेडा रऊकरना थाना माखी जिला उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को मय 12 पौवा व 14 पौवा देशी ठेके की शराब दीवाना ब्रान्ड शराब नाजायज डीहा गांव के पास गुमटी के पीछे से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर सम्बन्धित मु0अ0सं0 क्रमशः 290/23 व 291/23 धारा 60 EX ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2.श्रीमान न्यायालय सेशन जज SC/ST कोर्ट जनपद उन्नाव द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारण्ट ST. No. 43/2019 अ0सं0 179/2018 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द,ध SC/ST Act राज्य बनाम रोहित सिंह उर्फ पूत सिंह आदि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शप्पू सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम दीपागढी थाना माखी जनपद उन्नाव को उसके निवास स्थान ग्राम दीपागढी मे घर के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3.श्रीमान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारण्ट ST. No. 1500/2022 अ0सं0 329/2011 धारा 60(2) EX ACT राज्य बनाम बुद्धीलाल पासी आदि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. बुद्धीलाल पासी पुत्र पृथ्वीपाल पासी 2. भूरेलाल पासी पुत्र रतनू पासी निवासीगण ग्राम धौकलखेडा मजरा दीपागढी जनपद उन्नाव को उनके निवास स्थान ग्राम दीपागढी मे घर के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

4.ग्राम पुरवा मे प्रथम पक्ष के श्री विशाल पाल व द्वितीय पक्ष के 1. बब्लू राठौर पुत्र श्रीराम राठौर उम्र 23 वर्ष 2. वीरेन्द्र राठौर पुत्र ओमप्रकाश उम्र 24 वर्ष 3.कौशलेन्द्र पाल सिंह पुत्र रामदेव उम्र 22 वर्ष नि0गण कस्बा सफीपुर थाना सफीपुर उन्नाव 4. अभिषेक सिंह पुत्र संजय सिंह उम्र 25 वर्ष नि0 ग्राम कुसैला थाना सफीपुर उन्नाव के मध्य एजेन्सी पर काम करने तथा फाइनेन्स कराने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था जिसकी जांच की जा रही थी तो प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष द्वारा आमादा फौजदारी होने , समझाने वुझाने पर नही मानने पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में मा0 न्यायालय किया गया।

5.ग्राम मुलुकगडार मे प्रथम पक्ष की श्रीमती रामदेवी पत्नी रामप्रसाद शर्मा व द्वितीय पक्ष के 1. रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप उम्र 35 वर्ष 2. सत्यनरायन पुत्र रामप्रसाद उम्र 30 वर्ष 3. श्रीराम पुत्र रामप्रसाद उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम मुलुकगडार थाना माखी उन्नाव के मध्य गाली गलौज मारपीट की घटना हुई थी जिसकी जांच के दौरान विपक्षीगण रामचन्द्र व सत्यनरायन उपरोक्त उत्तेजित होकर आसंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए अमादा फौजदारी होने, काफी समझाये जाने पर न मानने पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु द्वितीय पक्ष के रामचन्द्र व सत्यनरायन उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में मा0 न्यायालय किया गया।

6.ग्राम सुब्बाखेडा मे प्रथम पक्ष की श्रीमती रीता पुत्री सुर्जन व द्वितीय पक्ष के 1. राधे पुत्र रतिराम उम्र 57 वर्ष 2. प्रदीप पुत्र रामऔतार उम्र 27 वर्ष 3. रामऔतार पुत्र लाला उम्र 56 वर्ष 4. केवल पुत्र शंकर उम्र 58 वर्ष नि0गण ग्राम सुब्बाखेडा मजरा जगदीशपुर थाना माखी उन्नाव के मध्य मारपीट गाली गलौज की घटना हुई थी जिसके सम्बन्ध में NCR NO 210/23 धारा 323/504 भादवि पंजीकृत थी। जिसकी जांच के दौरान राधे व प्रदीप उपरोक्त उत्तेजित होकर आसंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए अमादा फौजदारी होने,समझाने पर न मानने पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु द्वितीय पक्ष के राधे व प्रदीप उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में मा0 न्यायालय किया गया।

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.08.2023

थाना आसीवन ,जनपद उन्नाव।

▪ बाल अपचारी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस संरक्षण में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा एक बाल अपचारी को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 24.08.2023 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ फोटो/वीडियो डालने वाले बाल अपचारी को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर पुलिस संरक्षण में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 178/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण -

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजेश कुमार सिंह

2.हे0का0 सतीश सिंह तोमर

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.08.2023

थाना आसीवन ,जनपद उन्नाव।

▪ दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 24.08.2023 को उ0नि0 श्री अचल कुमार रावत मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.श्यामलाल पासी पुत्र रघुनाथ पासी 2. दीपक उम्र 23 वर्ष पुत्र श्यामलाल नि0गण मो0 सुभाष नगर कस्बा रसूलाबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव को अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.श्यामलाल पासी पुत्र रघुनाथ पासी नि0मो0 सुभाष नगर कस्बा रसूलाबाद थाना आसीवन, उन्नाव उम्र करीब 60 वर्ष
2.दीपक पुत्र श्यामलाल पासी नि0मो0 सुभाष नगर कस्बा रसूलाबाद थाना आसीवन, उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अचल कुमार रावत
2.हे0का0 रामप्रताप मौर्या
3.कां0 अंकित कुमार